

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF  
THE CRIMINAL PROCEDURE  
CODE, 1898

In the court of **शिवानी शर्मा**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जेएमएफसी गोहद**  
**गोहद, जिला-भिण्ड**  
प्रकरण क्रमांक '108/2018

Name and address of the complainant म०प्र० शासन द्वारा पुलिस थाना  
गोहद भिण्ड म०प्र०

name, parentage, caste and address of accused-

1. रामलक्ष्मण (इ) कुपान गा/व  
(उ) नाम सिंह (द) जामवंत  
(ड) विधवा उर्फ विठ्ठलजी

The offence complained of, and date of its alleged  
commission काफ़ी कोषिका में चोरी के द्वारा  
दाद जेएमएफसी पर लक्ष्मी की गति के लिए  
भीलका डोरो लगा रहे थे

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

अपराधों से बर्बर

The offence proved, if any in, case under clause (d),  
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of  
section 260, the value of the property in respect of which the  
offence has been committed.

(शिवानी शर्मा)  
जेएमएफसी गोहद



## // निर्णय //

(आज दिनांक 4-6-19 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को आबकारी अधिनियम की धारा 135A के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को धारा 135A के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती है।
3. फलस्वरूप आरोपी को धारा 135A के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 100/- 100/- रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर 10 दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
4. प्रकरण में मुददे माल जप्त गये जहाँ की जफ्त व नुकसान की ओर भेजी जावे ~~कलकत्ता कोर्ट में नष्ट की जाये~~
5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोहद

दिनांक- 4-6-19

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

(शिवानी शर्मा)  
जेएमएफसी गोहद

मेरे निर्देशानुसार टंकित किया गया

(शिवानी शर्मा)  
जेएमएफसी गोहद